रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 3, 2011/पौष 13, 1932
No. 1] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 3, 2011/PAUSA 13, 1932

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 1(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उत्पादन, उपयोग, आयात, निर्यात और खतरनाक सूक्ष्म जीव/आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक जीव अथवा कोशिकाओं का भंडारण नियमावली, 1989 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) ये नियम, उत्पादन, उपयोग, आयात, निर्यात और खतरनाक सूक्ष्म जीव/आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक जीव अथवा कोशिकाएं (संशोधन) नियमावली, 2010 कहे जा सकते हैं ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. उत्पादन, उपयोग, आयात, निर्यात और खतरनाक सूक्ष्म जीव/आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक जीव अथवा कोशिकाओं का भंडारण नियमावली, 1989 में,-

नियम 4 के उप-नियम (3) के अंतर्गत खण्ड (iii) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामश:

(iii) "**सुविज्ञ सदस्य** : महानिदेशक - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, महानिदेशक - भारतीय चिकित्सीय अनुसंधान परिषद्, महानिदेशक - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, महानिदेशक - स्वास्थ्य सेवाएं, पौध संरक्षण सलाहकार, पौध संरक्षण निदेशालय, संगरोध और भंडारण, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे के न हों और वैयक्तिक क्षमता में तीन बाह्य सुविज्ञ"।

[फा. सं. सी-12017/44/2010-सी.एस.-III]

डॉ. बी.पी. नीलरत्न, संयुक्त सचिव

टिप्पण : उत्पादन, उपयोग, आयात, निर्यात और खतरनाक सूक्ष्म जीव/आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक जीव अथवा कोशिकाओं का भंडारण नियमावली, 1989 को भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 की संख्या सा.का.नि. 1037(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो दिनांक 13 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना सं. का.आ. 677(अ) द्वारा लागू हुआ और तदन्तर दिनांक 14 जुलाई, 2005 की सा.का.नि. 493(अ), दिनांक 20 सितम्बर, 2006 की सा.का.नि. 616(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2007 की का.आ. 1519(अ), दिनांक 25 फरवरी, 2008 की का.आ. 411(अ), दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 की का.आ. 2519(अ), दिनांक 17 मार्च, 2009 की का.आ. 800(अ), दिनांक 9 नवम्बर, 2009 की का.आ. 288(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 2010 की का.आ. 828(अ) और दिनांक 4 अक्तूबर, 2010 की का.आ. 2478(अ), अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2010

G.S.R. 1(E).—In exercise of the power conferred under Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms/Genetically Engineered Organisms or Cells Rules, 1989.

1. (1) These rules may be called the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organism/Genetically Engineered Organisms or Cells (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organism/Genetically Engineered Organisms or Cells Rules, 1989,—

In rule 4, in sub-rule (3), for clause (iii) the following clause shall be substituted, namely :—

(iii) "**Expert Members** : Director General - Indian Council of Agricultural Research, Director General - Indian Council of Medical Research, Director General - Council of Scientific and Industrial Research, Director General - Health Services, Plant Protection Advisor, Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, Chairman, Central Pollution Control Board or their representatives not below the rank of Joint Secretary and three outside experts in individual capacity".

[F. No. C-12017/44/2010-CS-III]

Dr. B.P. NILARATNA, Jt. Secy.

Note :— The Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms/Genetically Engineered Organisms or Cells Rules, 1989 were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 1037(E), dated the 5th December, 1989, which came into force *vide* notification No. S.O. 677(E), dated the 13th September, 1993, and subsequently were amended *vide* notification numbers G.S.R 493(E), dated the 14th July, 2005, G.S.R. 616(E), dated the 20th September, 2006, S.O. 1519(E), dated 23-8-2007, S.O. 411(E), dated 25-2-2008, S.O. 2519(E), dated 3-10-2008, S.O. 800(E), dated 17-3-2009, S.O. 288(E), dated 9-11-2009 and S.O. 828(E), dated 5-4-2010, S.O. 2478(E), dated 4-10-2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.